



BACKGROUNDERS
Press Information Bureau
Government of India

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

हर किसान के लिए किफायती फसल बीमा

29 अगस्त, 2026

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) पूरे देश में सूखे, बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि, कीटों, बीमारियों, बुआई न हो पाने, स्थानीय आपदाओं, जलभराव से होने वाले नुकसान, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और फसल कटाई के बाद होने वाले खास नुकसानों के खिलाफ व्यापक कवरेज देती है। 2026-27 के लिए ₹12,200 करोड़ के आवंटन के साथ, पीएमएफबीवाई किसानों की मुश्किलों से निपटने की क्षमता को मजबूत बनाने, उनकी आजीविका की रक्षा करने, आय को स्थिर करने और जलवायु-अनुकूल खेती को बढ़ावा देने का काम जारी रखे हुए है। पिछले 10 वर्षों में, खरीफ 2016 में योजना की शुरुआत से लेकर रबी 2025-26 तक, 92.46 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों का बीमा किया गया है और 26.33 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों के लिए ₹2.06 लाख करोड़ से ज्यादा के दावों का भुगतान किया गया है। तकनीक पर आधारित पहलों, जैसे कि 'प्रौद्योगिकी आधारित उपज आकलन प्रणाली' (वाईईएस-टेक) और 'वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डेटा सिस्टम' (डब्ल्यूआईएनडीएस) को शामिल करने से दावों का निपटारा तेज, निष्पक्ष और अधिक पारदर्शी हो गया है, जिससे यह योजना और भी मजबूत हुई है।

फसल बीमा के जरिए ग्रामीण आजीविका को सुरक्षित करना

फसल बीमा किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, खराब मौसम, कीटों और बीमारियों से होने वाले फसल के नुकसान से बचाता है। समय पर मिलने वाला मुआवजा किसानों को आय में अचानक आई कमी से निपटने, नुकसान की भरपाई करने, कर्ज चुकाने और अगली फसल के मौसम में निवेश करने में मदद करता है। यह खेती की क्षमता को मजबूत करता है, आजीविका की रक्षा करता है और अनिश्चित स्थितियों में भी कृषि उत्पादन को जारी रखने में मदद करता है।

18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) शुरू की गई थी ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को फसल बीमा के दायरे में लाया जा सके। इसमें बुवाई से पहले के जोखिम (जैसे बुवाई

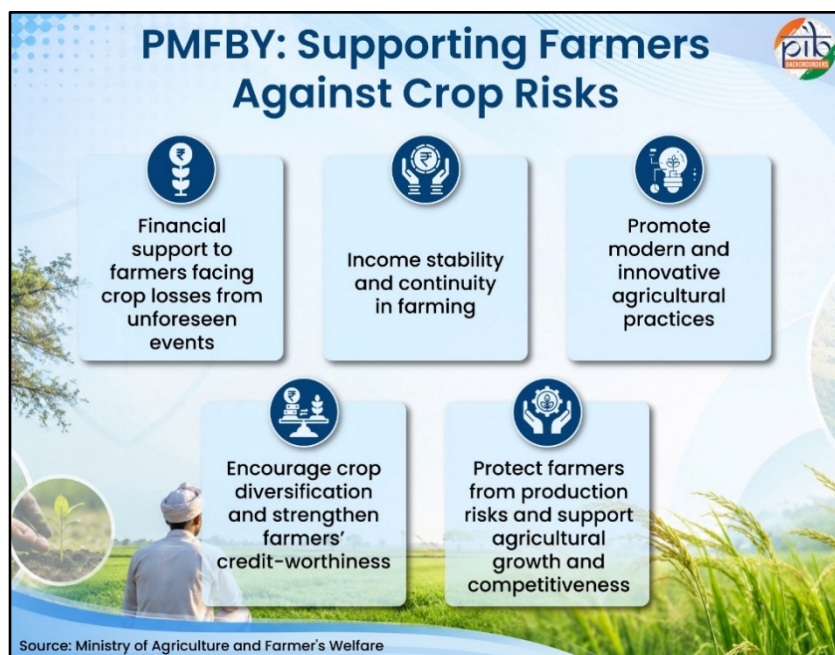
न हो पाना या बुवाई का विफल होना), मौसम के बीच में बड़े पैमाने पर खराब हालात, ओलावृष्टि, बाढ़, भूस्खलन जैसी स्थानीय आपदाएं (अलग-अलग खेतों के स्तर पर), और फसल कटाई के बाद चक्रवात, बेमौसम बारिश और अन्य तय खतरों से होने वाले नुकसान शामिल हैं। ज्यादा से ज्यादा किसानों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रीमियम की दरें कम और किफायती रखी गई हैं। सरकार ने केंद्रीय बजट 2026-27 में पीएमएफबीवाई के लिए ₹12,200 करोड़ आवंटित किए हैं, जो फसल बीमा और किसानों को सुरक्षा देने के प्रति उसकी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

पीएमएफबीवाई का असर: एक किसान की हिम्मत की कहानी

असम के नागांव जिले के चनखला गांव के रहने वाले छोटे किसान अनवर हुसैन अपने परिवार की आजीविका के लिए पूरी तरह खेती पर निर्भर हैं। जब भारी बारिश से उनकी फसल को भारी नुकसान पहुंचा, तो उन्हें अपने कर्ज चुकाने और अगली बुआई के लिए पैसे जुटाने को लेकर चिंता सताने लगी।

अच्छी बात यह थी कि अनवर ने सिर्फ ₹100 का मामूली प्रीमियम देकर 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' (पीएमएफबीवाई) में अपना पंजीकरण कराया हुआ था। फसल के नुकसान का आकलन होने के बाद, उन्हें इस योजना के तहत ₹50,600 का मुआवज़ा मिला। समय पर मिली इस आर्थिक मदद से उन्हें नुकसान से उबरने, अपना कुछ कर्ज चुकाने और अगले सीज़न के लिए खेती का जरूरी सामान खरीदने में मदद मिली। इस मदद की वजह से, आर्थिक तंगी में फंसने के बजाय अनवर नए आत्मविश्वास के साथ खेती जारी रख पाए। आज, वह अपने गांव के दूसरे किसानों को भी अपनी फसल का बीमा कराने के लिए जोरदार तरीके से प्रोत्साहित करते हैं और कहते हैं कि पीएमएफबीवाई मुश्किल समय में एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है।

पीएमएफबीवाई फसल के नुकसान के खिलाफ आर्थिक सुरक्षा देता है और किसानों की आय को स्थिर करने में मदद करता है। यह आधुनिक खेती के तरीकों, फसल विविधीकरण और उत्पादन से जुड़े जोखिमों का सामना करने की क्षमता को भी बढ़ावा देता है।

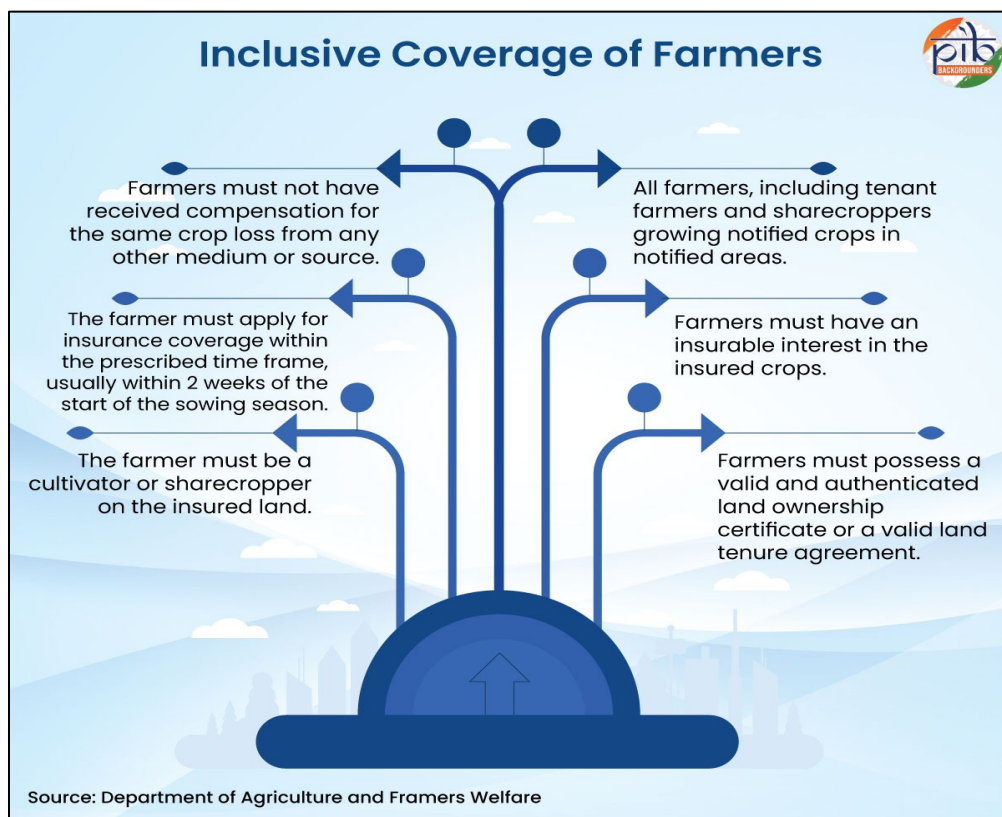


किसानों के लिए व्यापक कवरेज

पीएमएफबीवाई तय पात्रता शर्तों के आधार पर किसानों (जिसमें किराए पर खेती करने वाले और बटाईदार किसान भी शामिल हैं) को व्यापक फसल बीमा कवरेज देता है। किसानों के पास बीमा योग्य हित, जमीन के वैध दस्तावेज़ या पट्टे के समझौते या राज्य-विशेष की पहले से तय जरूरतों के अनुसार बुवाई के प्रमाण-पत्र होने चाहिए और उन्हें तय समय-सीमा के भीतर आवेदन करना होगा। जोखिम का व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, पीएमएफबीवाई खेती से जुड़े सभी तरह के किसानों—चाहे उन्होंने ऋण लिया हो या नहीं—को कवर करता है।

- **गैर-ऋणी किसान** वे होते हैं जिन्होंने फसल के लिए कोई ऋण नहीं लिया है या जिनके पास नॉन-स्टैंडर्ड किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) से जुड़े ऋण हैं। वे फसल बीमा कवरेज के लिए पीएमएफबीवाई के तहत अपनी मर्जी से पंजीकृत कर सकते हैं। पिछले 10 सालों में, औसतन 50% किसानों ने गैर-ऋणी किसानों के तौर पर अपनी इच्छा से पंजीकरण किया है, जिससे इस योजना में किसानों का भरोसा बढ़ा है।
- **ऋणी किसान** वे होते हैं जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी फसल ऋण लेते हैं, और उनके ऋण या केसीसी चालू और स्टैंडर्ड होते हैं। उनके प्रीमियम संबंधित बैंकों द्वारा ऋण की रकम से अपने-आप काट लिए जाते हैं।
- पीएमएफबीवाई आम तौर पर फसल को नुकसान या बर्बादी पहुंचाने वाली सभी प्राकृतिक और मौसमी आपदाओं के लिए व्यापक जोखिम कवर देता है, बशर्ते फसल का बीमा कराया गया हो और

तय समय-सीमा के भीतर बीमा कंपनी को प्रीमियम का भुगतान कर दिया गया हो। हालांकि, गैर-नोटिफाइड इलाकों में फसल का नुकसान, कवर की गई फसल की लाइफ-साइकिल के बाहर (यानी, बुवाई से पहले और खेत से फसल हटाने के बाद) होने वाला नुकसान, और लापरवाही या इंसानों की वजह से होने वाले या रोके जा सकने वाले रिस्क से होने वाले नुकसान इसमें कवर नहीं किए जाते हैं।



जोखिम कवर

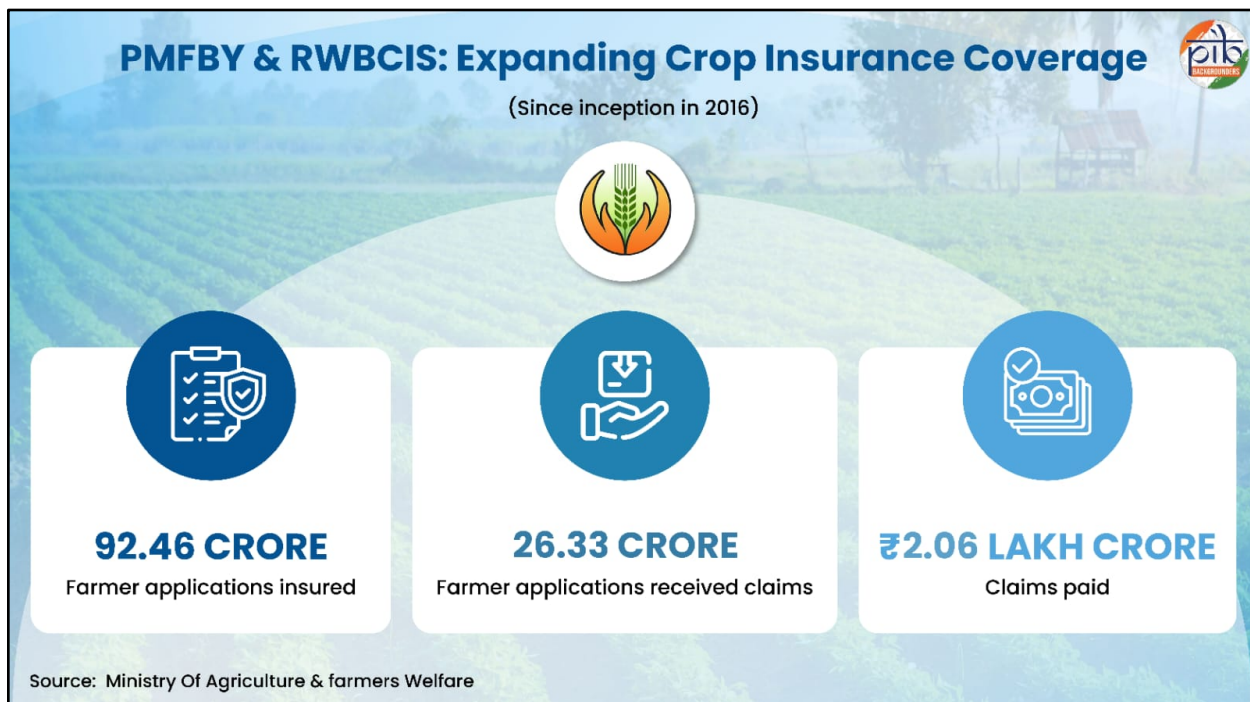
पीएमएफबीवाई खेती और कटाई के अलग-अलग चरणों में फसल के नुकसान के खिलाफ कवरेज देता है:

- **पैदावार में नुकसान (खड़ी फसलें, अधिसूचित क्षेत्र के आधार पर):** पीएमएफबीवाई सूखे, बारिश न होने, बाढ़, जल-जमाव, चक्रवात, ओलावृष्टि, बिजली गिरने, कीटों और बीमारियों जैसे जोखिमों के खिलाफ क्षेत्र-आधारित कवरेज देता है, जिन्हें रोका नहीं जा सकता।
- **बुआई न हो पाना:** जिन बीमित किसानों ने खर्च तो किया है लेकिन खराब मौसम के कारण बुआई नहीं कर पाए, वे बीमित राशि के अधिकतम 25% तक के दावे के हकदार होंगे।

- **कटाई के बाद का नुकसान:** खेत में सूखने के लिए "काटकर फैलाई गई" फसलों को कटाई के बाद 14 दिनों तक खास चक्रवाती और बेमौसम बारिश की घटनाओं से होने वाले नुकसान के खिलाफ कवर किया जाता है।
 - **स्थानीय आपदाएं:** ओलावृष्टि, भूस्खलन, जल-जमाव, बादल फटने और प्राकृतिक आग से खेत-स्तर पर होने वाले नुकसान को खास शर्तों के तहत कवर किया जाता है।
- हालांकि, पीएमएफबीवाई में युद्ध, परमाणु जोखिम, दंगे, चोरी, कटाई के बाद की खास स्थितियों और रोके जा सकने वाले अन्य जोखिमों से होने वाले नुकसान शामिल नहीं हैं।

पीएमएफबीवाई के तहत प्रगति और उपलब्धियां

हाल के वर्षों में पीएमएफबीवाई के तहत किसानों की भागीदारी, बीमा कवरेज और संस्थागत पहुंच में काफी विस्तार हुआ है। किसान खरीफ फसलों के लिए अधिकतम 2% और रबी की अनाज व तिलहन फसलों के लिए 1.5% प्रीमियम देते हैं। वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए अधिकतम प्रीमियम 5% है। केंद्र और राज्य सरकारें बाकी प्रीमियम का खर्च 50:50 के अनुपात में सब्सिडी के तौर पर उठाती हैं। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों के लिए, केंद्र और राज्य सरकार की सब्सिडी का योगदान 90:10 के अनुपात में होता है। प्रीमियम का यह किफायती ढांचा देश भर के किसानों के एक बड़े हिस्से तक फसल बीमा पहुंचाने में मददगार साबित हुआ है।



- पीएमएफबीवाई को अभी खरीफ 2026 में 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है।
- शुरुआत से अब तक, 92.46 करोड़ से ज्यादा किसान आवेदनों का बीमा किया गया है और 26.33 करोड़ से ज्यादा किसान आवेदनों के लिए ₹2.06 लाख करोड़ से ज्यादा के दावे दिए गए हैं।
- खरीफ 2025 में, फसल बीमा के तहत 229.77 लाख किसानों और 269.38 लाख हेक्टेयर जमीन को कवर किया गया, जिससे फसल से जुड़े जोखिमों के खिलाफ सुरक्षा मिली। खरीफ 2026 के लिए किसानों का एनरोलमेंट और बीमा किया गया क्षेत्र, खरीफ 2025 के स्तर से पहले ही आगे निकल गया है। 27 अगस्त 2026 तक, 241.38 लाख किसानों और 278.12 लाख हेक्टेयर जमीन का बीमा किया जा चुका है, जो फसल बीमा कवरेज के लगातार बढ़ते दायरे को दिखाता है।
- खरीफ 2025 के लिए, 60.89 लाख पात्र किसानों को ₹9,837.61 करोड़ के दावे पहले ही दिए जा चुके हैं, जिससे फसल के नुकसान के खिलाफ जरूरी आर्थिक मदद मिली है।
- 2024-25 में राष्ट्रीय स्तर पर नामांकन अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया, जिसमें 15.23 करोड़ से ज्यादा किसान आवेदनों के जरिए 4 करोड़ से ज्यादा किसानों का बीमा किया गया और 623 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को कवर किया गया।
- इस योजना में किराएदार और बटाईदार किसानों को भी शामिल किया गया है और उन्हें कवर किया जाता है। 2018 से अब तक, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर ऐसे 1.44 करोड़ से ज्यादा किसानों का एनरोलमेंट किया गया है।

राज्यों के स्तर पर प्रगति और अहम बातें

बड़े राज्यों का फिर से शामिल होना बढ़ते भरोसे को दिखाता है

पीएमएफबीवाई फ्रेमवर्क में राज्य सरकारों का भरोसा काफी बढ़ा है। इसका प्रमाण यह है कि खेती के लिए अहम वे बड़े राज्य, जिन्होंने पहले इससे किनारा कर लिया था या फसल राहत के लिए अपनी खुद की गैर-बीमा योजनाएं शुरू की थीं, वे अब व्यवस्थित तरीके से इसमें वापस लौट रहे हैं।

- आंध्र प्रदेश खरीफ 2022 से फिर से शामिल हुआ।
- झारखंड खरीफ 2024 से फिर से शामिल हुआ।
- पश्चिम बंगाल खरीफ 2026 से फिर से शामिल हुआ।

- बिहार ने राष्ट्रीय योजना में वापस आने और रबी 2026-27 सीज़न से पीएमएफबीवाई को लागू करने का फैसला किया है।

वापसी का यह दौर उस बेजोड़ कार्यक्षमता और वित्तीय सुरक्षा कवच को दिखाता है जो क्षेत्रीय गैर-बीमा राहत मॉडल की तुलना में यह केंद्रीय योजना प्रदान करती है।

महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में सार्वभौमिकीकरण बंद होने का प्रभाव:

क्षेत्रीय नामांकन प्रवृत्तियों पर एक विस्तृत नजर डालने से पता चलता है कि 2025-26 सीज़न के दौरान बीमित किसान आवेदनों में मध्यम राष्ट्रीय गिरावट मुख्य रूप से महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में केंद्रित है, जो योजना में किसानों के विश्वास में किसी व्यापक गिरावट का संकेत देने के बजाय कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव के कारण है।

- दोनों राज्यों ने पहले 2023 और 2024 के दौरान "सार्वभौमिकीकरण दृष्टिकोण" लागू किया था, जहां राज्य सरकार ने सभी किसानों की ओर से प्रीमियम का 100% वहन किया था, जिससे खरीफ 2024 में बहुत अधिक नामांकन हुआ था।
- 2025 में, दोनों राज्यों ने इस 100% किसान प्रीमियम सब्सिडी दृष्टिकोण को बंद कर दिया, जिससे किसानों के नामांकन में अपेक्षित गिरावट आई:
 - खरीफ 2025 में, आंध्र प्रदेश में किसानों का नामांकन 77% गिर गया (खरीफ 2024 में 31.92 लाख से खरीफ 2025 में 7.43 लाख)। खरीफ 2026 में, प्रवृत्ति उलट गई है, और 28 अगस्त 2026 तक, 16.22 लाख किसानों को नामांकित किया गया है, जो खरीफ 2025 सीज़न की तुलना में 108% की वृद्धि दर्शाता है।
 - इसी तरह, खरीफ 2025 में, महाराष्ट्र में किसानों का नामांकन 40% कम हो गया (खरीफ 2024 में 76.59 लाख से खरीफ 2025 में 45.99 लाख)। खरीफ 2026 में 28 अगस्त 2026 तक 42.55 लाख किसानों का नामांकन हुआ है, जो खरीफ 2025 सीज़न के 92% तक पहुंच गया है। मध्यम गिरावट राज्य द्वारा योजना से कुछ ऐड-ऑन दावों को बाहर करने के कारण है।

अन्य प्रमुख राज्यों में लगातार और मजबूत बढ़ोतरी

इन राज्यों की खास, स्थानीय नीतियों के कारण हुए बदलावों के बिल्कुल उलट, खरीफ 2025 के दौरान अन्य प्रमुख कृषि राज्यों में किसानों के पंजीकरण में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई:

- उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 35% की बढ़ोतरी हुई, जहां बीमा कराने वाले किसानों की संख्या 15.48 लाख से बढ़कर 20.84 लाख हो गई।
- हरियाणा में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहा और इसमें 20% की वृद्धि हुई; खरीफ 2024 में 3.75 लाख किसानों के मुकाबले खरीफ 2025 में 4.49 लाख किसानों का बीमा किया गया (यह 2023 और 2024 के बीच हुई 82% की शानदार बढ़ोतरी के बाद हुआ)।
- राजस्थान में 19% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे बीमा कराने वाले किसानों की संख्या 30.59 लाख से बढ़कर 36.45 लाख हो गई।
- मध्य प्रदेश में 12% की बढ़ोतरी हुई और बीमा कराने वाले किसानों की संख्या 26.80 लाख तक पहुंच गई।
- छत्तीसगढ़ में बीमा कराने वाले किसानों की संख्या में 9% की बढ़ोतरी हुई और यह 15.75 लाख हो गई।
- ओडिशा में 5% की बढ़ोतरी देखी गई, जिससे बीमा कराने वाले किसानों की कुल संख्या 24.92 लाख हो गई।

लगातार दिख रहे ये सकारात्मक दो-अंकीय (double-digit) रुझान भारत के मुख्य कृषि क्षेत्रों में कृषि जोखिम कवर के लिए मजबूत और खुद से पैदा हुई मांग को दर्शाते हैं।

पीएमएफबीवाई को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए सरकार की मुख्य पहल

पीएमएफबीवाई को एक मजबूत डिजिटल और शासन व्यवस्था (गवर्नेंस सिस्टम) के जरिए लागू किया जा रहा है, जो फसल बीमा की पारदर्शी, समय पर और सटीक सेवाएं सुनिश्चित करता है।

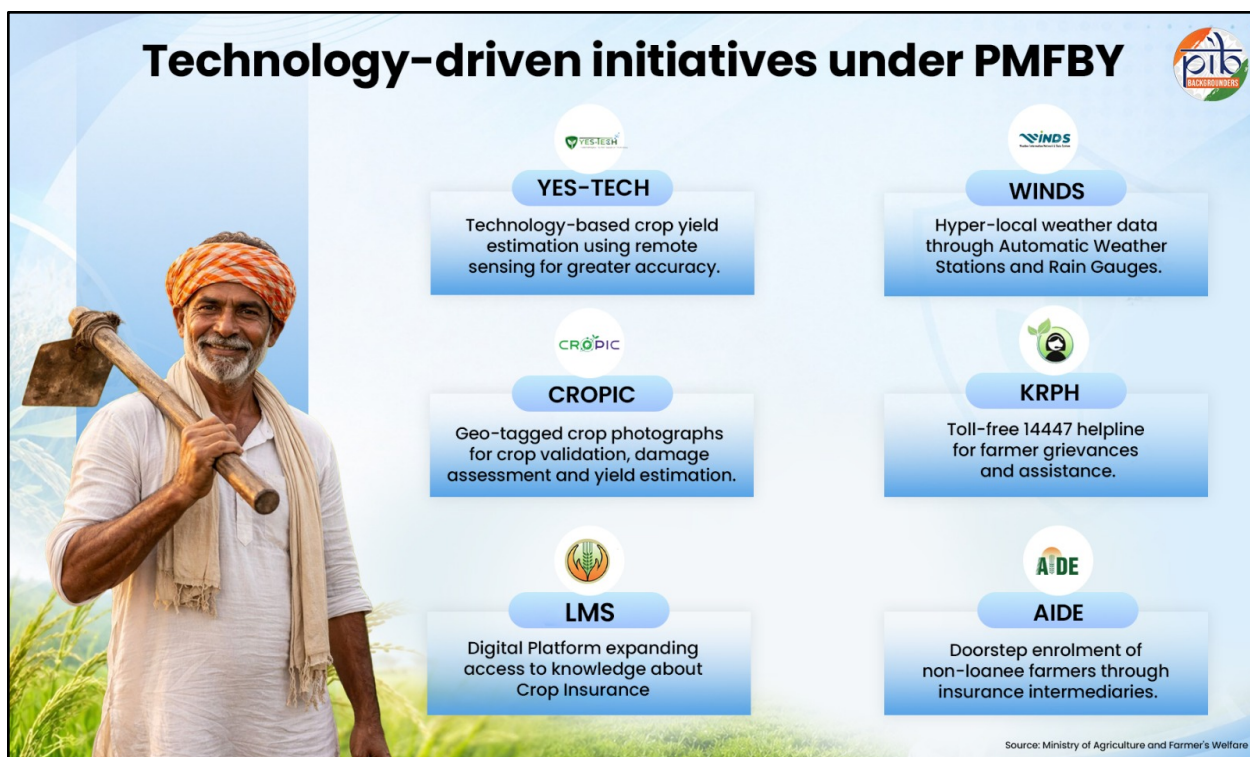
- नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल (एनसीआईपी) किसानों के डिजिटल पंजीकरण, सब्सिडी प्रबंधन, तालमेल और जानकारी फैलाने में मदद करता है। यह बीमा कराए हुए किसानों की जानकारी देखने, सही क्लेम का हिसाब लगाने और दावे की रकम सीधे किसानों के बैंक खातों में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजने की सुविधा भी देता है।
- **एनसीआईपी के साथ जमीन के रिकॉर्ड को जोड़ना:** इससे राज्य के ई-लैंड रिकॉर्ड के जरिए बीमा वाले इलाकों की पुष्टि हो पाती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ओडिशा राज्यों में ज़मीन के रिकॉर्ड की डिजिटल पुष्टि लागू की जा रही है। इन राज्यों में बीमा वाले इलाके का लगभग 85% हिस्सा अब एकीकृत जमीन

रिकॉर्ड के जरिए वेरिफाई किया जाता है, ताकि जमीन के टुकड़े, बीमा वाले इलाके और किसान की सही पहचान हो सके।

- **डिजीकलेम मॉड्यूल:** खरीफ 2022 से शुरू किया गया यह मॉड्यूल एनसीआईपी पर दावों की पारदर्शी गणना और निपटान (सेटलमेंट) को संभव बनाता है। दावों को एनसीआईपी के जरिए प्रोसेस किया जाता है और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के जरिए भुगतान किया जाता है। यह किसान स्तर तक दावों की पूरी प्रक्रिया की निगरानी करने में भी मदद करता है। शुरुआत से अब तक, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए ₹55,000 करोड़ से ज्यादा के दावों की गणना और भुगतान किया जा चुका है।
- **क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट (सीसीई)-एग्री ऐप:** यह एनसीआईपी पर सीसीई उपज डेटा को डिजिटल रूप से कैप्चर और अपलोड करने की सुविधा देता है। इस उपज डेटा का इस्तेमाल बीमा इकाई के लिए 'वास्तविक उपज' की गणना करने में किया जाता है, जिसके आधार पर फसल की उपज में नुकसान के कारण देय दावों की गणना की जाती है। यह बीमा कंपनियों को सीसीई देखने की सुविधा भी देता है, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है और दावों का समय पर निपटान सुनिश्चित होता है।

डिजिटल नवाचार फसल बीमा वितरण को मजबूत कर रहे हैं

पीएमएफबीवाई का डिजिटल प्लेटफॉर्म किसानों, बीमाकर्ताओं, वित्तीय संस्थानों और सरकारी एजेंसियों को एक ही आईटी पारिस्थितिकी तंत्र पर एकीकृत करता है। यह वास्तविक समय की जानकारी साझा करने, पारदर्शी प्रशासन और सुव्यवस्थित फसल बीमा सेवाओं को सक्षम बनाता है। पोर्टल क्षेत्र, फसल और योजना अधिसूचनाओं को डिजिटल बनाता है, मैनुअल प्रक्रियाओं को कम करता है, और विशेष रूप से दूरदराज के और आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के लिए बीमा तक पहुंच में सुधार करता है।



- **प्रौद्योगिकी आधारित उपज आकलन प्रणाली (वाईईएस-टेक)** फसल की पैदावार का सही और सटीक अनुमान लगाने के लिए रिमोट सेंसिंग और तकनीक-आधारित तरीकों का इस्तेमाल करता है। इसे खरीफ 2023 में धान और गेहूं के लिए, और खरीफ 2024 में सोयाबीन के लिए शुरू किया गया था। शुरुआत में वाईईएस-टेक से मिली पैदावार के आंकड़ों को कम से कम 30% वेटेज दिया गया था, जिसे अब कुछ राज्यों में बढ़ाकर 50% कर दिया गया है।
- **वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डेटा सिस्टम (डब्ल्यूआईएनडीएस)** ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर बहुत ही स्थानीय (हाइपर-लोकल) मौसम का डेटा इकट्ठा करने के लिए ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन और ऑटोमैटिक रेन गेज का इस्तेमाल करता है। यह डेटा फलों, सब्जियों और बागवानी फसलों के लिए मौसम-आधारित फसल बीमा योजना को लागू करने; वाईईएस-टेक का इस्तेमाल करके फसल की पैदावार का अनुमान लगाने; आपदा प्रबंधन; मौसम का पूर्वानुमान लगाने; और अन्य पैरामीट्रिक बीमा उत्पादों में मदद करता है।
- **फसलों की रियल-टाइम तस्वीरें और जानकारी इकट्ठा करना (सीआरओपीआईसी)**: यह किसी खास बीमा यूनिट में फसल की सामान्य सेहत की समय-समय पर जांच करने के लिए जियो-टैग की गई तस्वीरों का इस्तेमाल करता है। इसका मकसद तस्वीरों के विश्लेषण (पिक्टोरियल एनालिटिक्स) के जरिए फसल के नुकसान का आकलन और पैदावार का अनुमान लगाने में मदद करना भी है, जिसके लिए देश भर में पायलट परियोजना शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है।

- कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन (केआरपीएच) किसानों के लिए एक खास टोल-फ्री हेल्पलाइन (14447) उपलब्ध कराता है, ताकि वे अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें, मदद मांग सकें और फसल बीमा से जुड़ी समस्याओं के समाधान की स्थिति जान सकें। इसे जनवरी 2024 में पूरे देश में शुरू किया गया था और तब से, बीमा कराने वाले किसानों की 26.12 लाख शिकायतों का समाधान 99.66% की सफलता दर के साथ किया गया है।
- लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सभी संबंधित लोगों के बीच फसल बीमा के बारे में जानकारी और समझ को बढ़ाता है। 'ऐप फॉर इंटरमीडियरी एनरोलमेंट' (एआईडीई) उन किसानों का घर बैठे पंजीकरण संभव बनाता है जिन्होंने ऋण नहीं लिया है। यह बीमा मध्यस्थों के जरिए फसल बीमा को ज्यादा सुलभ बनाता है। इसी तरह, 'क्रॉप लॉस असेसमेंट ऐप' (सीएलएपी) का इस्तेमाल स्थानीय आपदाओं के दौरान अलग-अलग खेतों में फसल के नुकसान का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है; यह फसल नुकसान के सर्वे के जरिए तेजी से और पारदर्शी तरीके से दावों की गणना और निपटान में मदद करता है।

इन तकनीकी बदलावों ने पीएमएफबीवाई को पूरी तरह बदल दिया है, जिससे किसानों के लिए तेजी से एनरोलमेंट, नुकसान का सही आकलन, समय पर क्लेम का निपटान और शिकायतों का असरदार समाधान संभव हो पाया है।

रीस्ट्रक्चर्ड वेदर-बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम (आरडब्ल्यूसीआईएस)

पीएमएफबीवाई के साथ-साथ, सरकार खराब मौसम की स्थितियों से होने वाले जोखिमों से निपटने के लिए रीस्ट्रक्चर्ड वेदर-बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम (आरडब्ल्यूसीआईएस) लागू करती है। आरडब्ल्यूसीआईएस मौसम इंडेक्स पर आधारित एक स्कीम है, जिसमें फसल के नुकसान का पता लगाने के लिए असल में हुई पैदावार की कमी के बजाय, तय मौसम के पैमानों का इस्तेमाल 'प्रॉक्सी' (प्रतिनिधि) के तौर पर किया जाता है। इस स्कीम के तहत, फसल के जीवन-चक्र को अलग-अलग फेनोलॉजिकल चरणों (विकास के चरणों) में बांटा जाता है, और हर चरण में फसल के जोखिम के आधार पर बीमा की रकम तय की जाती है।

यह योजना तय 'रेफरेंस यूनिट एरिया' (आरयूए) में 'एरिया अप्रोच' (क्षेत्र-आधारित तरीका) पर काम करती है। भुगतान तब किया जाता है जब अधिसूचित स्थानीय मौसम केंद्रों पर मापे गए मौसम के वेरिएबल-जैसे कम या ज्यादा बारिश, सूखा पड़ना, बहुत ज्यादा तापमान, नमी और हवा की रफ्तार-पहले से तय सीमा से अलग हो जाते हैं। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ओलावृष्टि और बादल फटने जैसी गंभीर स्थानीय आपदाओं के लिए खेत-स्तर पर अतिरिक्त कवरेज भी दे सकते हैं। पीएमएफबीवाई जैसी ही किफायती प्रीमियम दरों

(फसल के प्रकार के आधार पर 1.5% से 5%) वाली आरडब्ल्यूसीआईएस खासकर फलों, सब्जियों और बागवानी फसलों के लिए एक बहुत लोकप्रिय सुरक्षा कवच बनी हुई है; खरीफ 2026 में इसने 12.31 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर 25.95 लाख किसानों के आवेदनों को कवर किया।

पीएमएफबीवाई के जरिए खेती से जुड़े जोखिमों के मैनेजमेंट में बदलाव

पिछले दशक में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) भारत के खेती से जुड़ी जोखिम प्रबंधन प्रणाली का एक अहम हिस्सा बन गई है। यह लाखों किसानों को जलवायु परिवर्तन, खराब मौसम और जैविक जोखिमों से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। किफायती प्रीमियम और फसल-चक्र के पूरे कवरेज को मिलाकर, इस योजना ने किसानों की आय पर पड़ने वाले झटकों के असर को कम किया है। इसने आधुनिक इनपुट, बेहतर बीज और खेती के बेहतर तरीकों में निवेश करने की उनकी क्षमता को भी मजबूत किया है। एनसीआईपी, डिजिक्लेम (DigiClaim), सीसीई एग्री ऐप, सीएलएपी, वाईईएस-टेक और डब्ल्यूआईएनडीएस जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म और पहलों ने पीएमएफबीवाई के तहत दावा निपटान (क्लेम सेटलमेंट) में पारदर्शिता, सटीकता और तेजी लाई है। इन तकनीकों ने पीएमएफबीवाई को अधिक कुशल और जवाबदेह भी बनाया है। जैसे-जैसे भारत जलवायु-अनुकूल खेती की ओर बढ़ रहा है, पीएमएफबीवाई आने वाले वर्षों में किसानों की आजीविका की सुरक्षा करने, खेती में मजबूती लाने और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अच्छी स्थिति में है।

संदर्भ

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

<https://pmfby.gov.in/pdf/New%20Schemes-english .pdf>

<https://agriwelfare.gov.in/en/CropInsurance>

<https://www.myscheme.gov.in/schemes/pmfby>

<https://agriwelfare.gov.in/en/CropInsurance>

<https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2097959®=3&lang=1>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2089250®=3&lang=2>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2148513®=3&lang=2>

Microsoft Word - lu431

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/186/AU1610_Vz2gT8.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/184/AU269_UCTI1z.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/186/AU2752_K8yh1l.pdf?source=pqalshttps://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/186/AU2582_mUayeg.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/186/AU2608_FGMVt9.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/187/AU496_DO5aVo.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/184/AU431_EwtIAQ.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/184/AU431_EwtIAQ.pdf?source=pqalsHhttps://www.mysche

me.gov.in/schemes/pmfby
<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2004173®=48&lang=2>
<https://agriwelfare.gov.in/en/CropInsurance>
<https://pmfby.gov.in/pdf/New%20Schemes-english .pdf>
https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/186/AU2582_mUayeg.pdf?source=pgals
<https://pmfby.gov.in/adminStatistics/dashboard>
<https://pmfby.gov.in/aboutUs>
https://pmfby.gov.in/pdf/RWBCIS_Revised_Guidelines_1.pdf
<https://www.youtube.com/watch?v=sXEjHod1ltY>

वित्त मंत्रालय

<https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/allsbef.pdf>

पीआईबी पृष्ठभूमि

<https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?id=155010&NotelId=155010&ModuleId=3®=3&lang=2>
https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?ModuleId=16&NotelId=150838&id=150838&lang=2®=48&utm_source

पीआईबी शोध

पीके / केसी/ एमपी